देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 913 / भू अ0 दिनांक 8/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—लतवेदिया, थाना—देवघर, थाना सं०— 219, अंचल—देवघर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **मानिकपुर से दर्दमारा भाया केनमन काठी पथ निर्माण** परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—लतवेदिया , थाना—देवघर, थाना सं०—219, अंचल—देवघर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.62 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	171	रैयती	बाड़ी—2	0.11	प्रभु मुर्मू पे० मतला मुर्मू वो सोनेलाल मुर्मू वो मनोज मुर्मू पे० सोमर मुर्मू वो लुथु मुर्मू वो देवान मुर्मू पे० बुधन मुर्मू वो दीलिप मुर्मू वो मुकेश मुर्मू वो प्रेम मुर्मू वो राजू मुर्मू पे० दानी मुर्मू वो बुधु मुर्मू वो छोटेलाल मुर्मू पे० सुखु मुर्मू वो पुरन मुर्मू पेशरान केला मुर्मू वो पानमुनी मुर्मू वो सोनामुनी मुर्मू पे० मंगल मुर्मू अंश समान सा० देह।	अर्जित दाग का अंश	मौजा छोटा धोवना नं० 218	मौजा चरकी पहाड़ी 220	मौजा तुलसी टांड़ 05
2	3	169	रैयती	बाड़ी—2	0.10	श्रीजल टुडू वो नकुल टुडू पे० बासो टुडू वो विष्णु टुडू वो हुपन टुडू वो मंगल टुडू पे० छोटका टुडू अंश समान सा० देह।				
3	4	170	रैयती	बाड़ी—2	0.06	जीतन बेसरा पे० देवान बेसरा वो सोमर बेसरा वो मंगल बेसरा पे० जल्फा बेसरा वो मुंगली बेसरा पे० रोया बेसरा वो पुतिलाल मरांडी वो लखीराम मराण्डी वो चुनचुन मरांडी माता जमी बेसरा वो सुकरमुनी मरांडी पे० छोटका मरांडी वो श्यामलाल बेसरा पे० बुधन बेसरा वो मंझला बेसरा पे० शंकर बेसरा वो मुखिया बेसरा पे0 दुखा बेसरा वो नेका बेसरा वो नुनुराम बेसरा पे० फुचा बेसरा अंश समान सा० देह।				
4	6	10	रैयती	बाड़ी—2	0.03	मदन मांझी वो राजेन्द्र मांझी पे० डोमन मांझी अंश समान सा० देह।				
5	6	174	रैयती	बाड़ी—2	0.02	मधुरिया मांझी पे० करमन मांझी वो तारो मांझियाइन पति रामु मांझी जमावन्दी रैयत।				
6	6	26	रैयती	बाड़ी—2	0.30	लालू मांझी पे० नागेश्वर मांझी वो इश्वरी मांझी पे० हुको मांझी वो जामुन मांझी पे० जगदीश मांझी वो वासुदेव मांझी वो सहदेव मांझी वो किसुन मांझी पे० छोटा नथु मांझी वो निमिया देवी पे० छकु मांझी वो हुरो मांझी वो केदार मांझी पे० दुखन मांझी अंश समान सा० देह।				
				कुल रकवा—	0.62					

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम—2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर) 8/12/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 913 / भू अ0, देवघर, दिनांक 8/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

(हस्ताक्षर) 8/12/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।